

निगम क्षेत्र के 6 स्थलों पर राष्ट्रीय घूल मुक्त कार्यक्रम चलाया जाएगा

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई राष्ट्रीय घूल मुक्त कार्यक्रम, सुपेला घड़ी चौक से गदा चौक पर अवैध कब्जा, निर्माणाधीन पानी टंकी, हाउसिंग बोर्ड 32 एकड़ में रोड एवं साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय एवं जोन आयुक्त येशा लहरे द्वारा किया गया। भारत सरकार के राष्ट्रीय पहल राष्ट्रीय घूल मुक्त कार्यक्रम (नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम) के तहत चौराहों में लेफ्ट फ्री किये जाने का प्रावधान है। जिसके लिए नगर निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत 6 स्थलों का चयन किया गया है। नेहरू नगर चौक, घड़ी चौक, पावर हाउस चौक, छावनी चौक, सूर्यामॉल चौक एवं चंद्रा मोर्या चौक शामिल है। उक्त कार्य के लिए राशि रुपये 80 लाख का निविदा कर एजेंसी चयन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वायु प्रदूषण नियंत्रण करते हुए लेफ्ट फ्री रोड का निर्माण करना है। इसके अलावा घूल और ट्रैफिक को कम करने और शहरी स्थानों को स्वच्छ बनाने के लिए सड़कों का डिजाइन और रखरखाव पर काम करना है। लेफ्ट फ्री रोड से ईंधन की बचत होगी और वायु प्रदूषण में कमी आएगी। निगम आयुक्त द्वारा सुपेला लक्ष्मी मार्केट में निर्माणाधीन पानी की टंकी का अवलोकन किया गया। पानी टंकी के बाउण्ड्रीवाल के अंदर गददा दुकान एवं अन्य दुकान संचालित किया जा रहा है, जिनके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही की गई है। आयुक्त ने जोन 02 वैशाली नगर अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड 32 एकड़ के बैक साइड में रोड एवं साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किये। रोड के किनारे दीपावली के पूर्व घरों में साफ-सफाई का कचरा फेंका गया था, जिसे आयुक्त के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा द्वारा तत्काल हटवाया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता अरविंद शर्मा, सहायक अभियंता अर्पित बंजारे, सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे उपस्थित रहे।

